HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

Action Taken Report

Original Application No. 144 of 2018

In compliance of order dated 27.07.2019

of the

Hon'ble National Green Tribunal,

Principal Bench,

New Delhi

Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 144 of 2019

Arvind Baniyal (Applicant)

Vs

State of Uttarakhand (Respondent)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 29.03.2019, joint inspection of the site was carried out by the officials of Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun and Nagar Nigam, Kotdwar on 02.07.2019,As per inspection report:

1. The population of Nagar Nigam, Kotdwar is 135000 and divided in to 40 municipal wards.

2. About 60 MT solid wastes is generated per day. 14 RRC waste bins have been made for waste collection. Door to door collection of solid has been started.

3. Nagar Nigam has 54 man powers, 02 Trucks, 02 Refused Collectors, 01 Dumper Placer, 160 Wheel Brose & 160 Tri-cycles for collection and transportation of solid wastes.

4. Collected solid waste is disposed at Paniyali Talli, Village Ratanpur. Said site is not developed scientifically and collected bio-degradable and non-biodegradable wastes are being dumped at this site. Said dump site is being used by Municipal Corporation since 2008-09.

5. Said solid waste disposal site is located at the bank of *Khoh* River. Ulthough, Nagar Nigam has made boundary wall towards Khoh river, but possibility of lecheate from dump site into river *Khoh* during rain is obvious.

6. Since, solid waste disposal site is located at the bank of river *Khoh*, therefore, there is possibilities of scattering of waste by animals. Scattering of waste was observed nearby dump site.

7. It was informed by Assistant Municipal Commissioner that new site for solid waste processing and disposal facility has been identified at Haldukhatta, Kotdwar near Malam nadi. Land acquisition is under way. DPR of the same is being prepared.

In view of above observation, the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board has issued following directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal on dated 23.07.2019.

1. The Nagar Nigam, Kotdwar shall immediately stop illegal dumping of solid wastes at the bank of river *Khoh*, Village Ratanpur, Kotdwar.
2. The Nagar Nigam shall ensure preventives measure for leaching of leachete from dumpsite in to river *Khoh* and ensure cleaning of all dumped waste from the said dump site at the earliest.
3. The Nagar Nigam shall establish solid waste processing and disposal facility in accordance of the Solid Waste Management Rules, 2016 at the earliest.

In continuation of the earlier order dated 29/03/2019, The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has passed the order on dated 24/07/2019 for furnishing the satisfactory remedial action by Nagar Nigam. In compliance of above order, the UEPPCB has conducted re-inspection of site on dated 11/11/2019, in presence of the officials of Nagar Nigam Kotdwar, (Pouri Garhwal). Copy of inspection report enclosed as **Annexure-01**. As per inspection report:-

1. The Nagar Nigam Kotdwar has not replied to the answer of the notice issued under section-5 of the Environment (Protection) Act 1986.
2. The Nagar Nigam Kotdwar has not complied to the direction issued by UEPPCB under section-5 of the Environment (Protection) Act 1986.

The UEPPCB has also issued reminder to Nagar Nigam Kotdwar for submission of compliance report. The copy of reminder letter is enclosed as **Annexure-2**. However till date no compliance report or any action plan is received from the Nagar Nigam Kotdwar.

....

Annexure-01

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में Application No. 144/2019 अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–UEPPCB/HO/Gen-183-407/6312-1288 Dated 11.11.2019 के अनुपालन में दिनांक 18.11.2019 को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त श्री राजेश नैथानी के साथ निरीक्षण किया गया, निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है–

1. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 के कम में दिनांक 02.07.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया **(आख्या संलग्न)**, जिसके आधार पर सदस्य सचिव महोदय द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यू.ई. पी.पी.सी.बी./एच.ओ./जन–183–402/2019/86 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5, के तहत नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका वर्तमान समय तक प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या अप्राप्त है। धारा–5 के तहत निर्गत बिन्दु के कम में बिन्दुवार आख्या–

- नगर निगम द्वारा जो ठोस अपशिष्ठ का डम्पिंग यार्ड है, जो कि खो नदी के किनारे पनियाली तल्ली, ग्राम रतनपुर में संचालित/स्थापित है। सहायक नगर आयुक्त द्वारा निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर निगम द्वारा 2008–09 से ठोस अपिशष्ठ को डम्प किया जा रहा है।
- नगर निगम द्वारा उक्त डम्पिंग यार्ड वैज्ञानिक तरीके से विकसित नहीं किया गया है एवं अजैविक व जैविक अपशिष्ठ का एकत्रण क्रिया जा रहा है, जिससे जनित होने वाले Leachate डम्पिंग साइट से रिसाव के उपरान्त नदी में जाना स्वाभाविक है, जो कि नदी से लगभग 5–10 फिट की दूरी पर स्थित है, जिसकी रोकथाम हेतु Leachate Proof, Leachat Tank व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे Leachate रिसाव को नदी में जाने से रोका जा सके।
- नगर निगम, कोटद्वारा द्वारा वर्तमान समय तक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम–2016 के अनुपालन हेतु प्रेषित नोटिस के कम में अनुपालन आख्या अप्राप्त है। साथ ही नगर निगम कोटद्वार द्वारा ठोस अपशिष्ठ के प्रोसेसिंग एवं निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के लिये बोर्ड में कोई स्थापनार्थ सहमति प्राप्त की गई है और न ही आवेदन किया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

19/11/2019
(रविन्द्र पुण्डीर)
वैज्ञा0 सहायक

19.11.19
(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Annexure-02

मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूईपीपीसीबी / एच.ओ. / 183–407 / 4307–927, दिनांक 04.08.2019

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार,
जनपद – पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 – 144 / 2019 अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में दिनांक 24.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0– 144 / 2019 के सन्दर्भ में दिनांक 24.07.2019 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें।(आदेश संलग्न)उपरोक्त आदेश के क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 17.10.2019 में पूर्व मा0 एन0जी0टी0 में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा की जानी है।

उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सं0– यू0ई0पी0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / सा0 – 183–402 / 2019 / 86 दिनांक 23.07.2019 के क्रम में पर्यावरण(संरक्षण) अधि 1986 के तहत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये, जिनका प्रतिउत्तर वर्तमान तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि उक्त निर्गत निर्दशों के पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अनुपालन आख्या प्रेषित् करना सुनिश्चित करें जिनके ससमय मा0 एन0जी0टी0 में ससमय एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा की जा सकें। उक्त के अभाव में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत विपरीत आदेश हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ ही उक्त के क्रम में स्थल निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ के साथ अविलम्ब बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित् करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव